(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जी. एस. संधवालिया और विकास सूरी से पहले, जे. जे.

विजय कुमार यादव– याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2021 का एल. पी. ए. No.564

08 मार्च, 2022

*(ए) लेटर्स पेटेंट–पीठ X–हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008–Rls.8 और 9 (1) (a) (iii)–कट–ऑफ तिथि–एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता राजस्व अधिकारी/तहसीलदारों के स्रोत से हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए विचार–प्रारंभिक कट–ऑफ तिथि 01.11.2018 को पात्रता निर्धारित करने के लिए एकल पीठ द्वारा 12.07.2019 के रूप में माना जाता है–केवल इसलिए कि पात्र व्यक्तियों की सूची भेजने के लिए कट–ऑफ–तिथि 12.07.2019 तक बढ़ा दी गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि कट–ऑफ–तिथि नियम के अनुसार बदल जाएगी–नवंबर के पहले दिन देखी जाने वाली आयु | तर्क- **12.07.2019** को भेजी गई सोलह अभ्यर्थियों की सूची बरकरार नहीं रखी जा सकती - न तो कटऑफ तिथि बदली जा सकती है और न ही दो कटऑफ तिथियां संभव हैं - तीन अपील खारिज की गईं - एक अपील स्वीकार की गई और अपीलकर्ता की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।*

यह माना गया कि उपरोक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि नियम 9 (1) (ए) (iii) में प्रावधान है कि समिति को नामांकन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के पांच गुना से अधिक नहीं के डी. आर. ओ./तहसीलदारों की सूची तैयार करने के लिए सरकार द्वारा एक तारीख निर्धारित की जानी है।नियम के अनुसार डी. आर. ओ./तहसीलदारों की 8 साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता है और नायब तहसीलदार के रूप में प्रदान की गई सेवा को गिना जाना है।संबंधित प्राधिकारी द्वारा नाम जमा करने की तारीख से ठीक पहले नवंबर के पहले दिन उम्मीदवार की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।खंड (ii) के अनुसार इसी तरह उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं करना था और जिनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा था और खंड (iv) के तहत सतर्कता के दृष्टिकोण से स्पष्ट होना था।

(पैरा 34)

आगे कहा कि, 30.05.2019 दिनांकित पत्र, जिसमें रजिस्टर ए–1 से 23 पदों को भरने का निर्णय लिया गया था, विशेष रूप से प्रदान करता है कि जिन नामों की सिफारिश की जानी थी, वे 01.11.2018 पर पात्रता को पूरा करें।उक्त पत्र के प्रासंगिक हिस्से को पहले ही पैराग्राफ No.27 में पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।

अनुशंसाएँ 28.06.2019 द्वारा भेजी जानी थीं और उक्त तिथियों के बाद प्राप्त किसी भी अनुशंसा पर विचार और विचार नहीं किया जाना था।

(पैरा 37) ने आगे कहा कि, यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि 30.05.2019 दिनांकित पत्र को 09.07.2019 दिनांकित पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो एक धारणा पर आधारित है जो ऊपर उद्धृत नियम के विपरीत होगा।न ही उक्त पत्र में कहीं भी यह उल्लेख किया गया है कि यह पहले के दिनांकित 30.05.2019 पत्र का स्थान लेता है और न ही किसी भी तरह से इसकी अनुमति होगी।केवल इसलिए कि पात्र व्यक्तियों की सूची भेजने के लिए कट–ऑफ–तिथि को 12.07.2019 तक बढ़ा दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि कट–ऑफ–तिथि नियम के प्रावधानों के कारण ही बदल जाएगी, जो विशेष रूप से प्रदान करता है

कि आयु को संबंधित प्राधिकरण द्वारा नाम जमा करने की तारीख से ठीक पहले, नवंबर के पहले दिन देखा जाना चाहिए।इस प्रकार उक्त तिथि को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 8 साल की सेवा की अनिवार्य आवश्यकता सहित उम्मीदवारों की पात्रता और अयोग्यता, यदि कोई हो, पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि देखी जानी चाहिए।

(पैरा 39) ने आगे कहा कि, ऐसी परिस्थितियों में, इस तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है कि 16 उम्मीदवारों की सूची 12.07.2019 पर भेजी गई थी और उक्त तिथि को पात्रता के निर्धारण के लिए कट–ऑफ–डेट माना जाना चाहिए।नतीजतन, इस अदालत की राय है कि कट–ऑफ–डेट को 01.11.2018 माना जाना चाहिए।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लिखित बयान में भी राज्य की प्रतिक्रिया के अनुसार यह उनका विशिष्ट रुख था कि अनुभव पर 01.11.2018 तक विचार किया जाना चाहिए और इसलिए, यह तर्क देना राज्य के मुंह में नहीं है कि एक अलग कट–ऑफ–डेट को अपनाया जाना है।अन्यथा भी 0907.2019 (अनुलग्नक पी–8) दिनांकित पत्र भी इस न्यायालय द्वारा 21.08.2019 और 29.08.2019 पर पारित किसी भी अंतरिम आदेश से पहले जारी किया गया था और इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय के आदेशों के कारण दो अलग–अलग कट–ऑफ–तिथियों पर विचार किया जा रहा था, बिना किसी आधार के है।(पैरा 40)

(ख) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008–Rls.9 (1) (a) (iii)–पात्रता–नियम को स्पष्ट रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, न कि इसे नियम के लिए कोई चुनौती के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता है–यह देखने के लिए कि क्या कट–ऑफ तिथि पर उम्मीदवारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था, यानी 01.11.2018–खेल शुरू होने के बाद 'खेल के नियमों' में बदलाव नहीं किया जा सका–नामांकन प्रक्रिया पर शुरू हुई।

विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 929
(जी. एस. संधवालिया, जे.)

30.05.2019—कट–ऑफ–डेट 01.11.2018 के रूप में तय की गई–एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकालने में गलती की–पात्रता को 12.07.2019 पर देखा जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अब यह देखा जाना चाहिए कि क्या उक्त कट–ऑफ तिथि पर रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी पात्र थे और क्या वे अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे थे या नहीं और उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था।उक्त नियम का स्पष्ट अध्ययन किया जाना चाहिए और यह इस न्यायालय के लिए इस तरह की व्याख्या में जाने के लिए नहीं है, न ही विचाराधीन नियम को इस तरह की कोई चुनौती दी गई है। यह राज्य का विशिष्ट रुख है कि विजय कुमार यादव के मामले में उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय 14.08.2018 पर लिया गया था, जो 01.11.2018 की कट–ऑफ–डेट से काफी पहले था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब 13 व्यक्तियों की पहली सूची 19.08.2018 पर भेजी गई थी, तो रिट याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख उस खाते में नहीं मिला था

(पैरा 41)

आगे कहा कि इसी तरह, गुलाब सिंह के मामले में राज्य का रुख यह भी है कि 30.07.2018 पर उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय लिया गया था जो फिर से 01.11.2018 से पहले था और राज्य का रुख यह था कि कट–ऑफ–डेट को 01.11.2018 के रूप में देखा जाना चाहिए।रविंदर सिंह के मामले में भी राज्य का रुख यह था कि 30.07.2018 पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए, वह भी नियम के सादे पढ़ने पर कट–ऑफ–डेट पर अयोग्य था।

(पैरा 42)

आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में श्री कालरा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नियम 9 (1) (ए) (iii) को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है।जैसा कि देखा गया है कि उक्त नियम कभी भी चुनौती का विषय नहीं था और यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अधिनियम की व्याख्या में जाए, क्योंकि केवल यह राहत मांगी गई थी कि उस समय नाम पर विचार नहीं किया गया था। इस अदालत का काम अपीलकर्ताओं की सुविधा के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना नहीं है| इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी विजय कुमार यादव, गुलाब सिंह और रविंदर सिंह, कार्रवाई पर विचार किए जाने के कारण, विचार के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

(पैरा 45)

आगे कहा कि, हालांकि, दिनेश सिंह के मामले में, यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय 05.02.2019 पर लिया गया था।

जो 01.11.2018 की कट–ऑफ तिथि के बाद है और इसलिए, राज्य का यह रुख कि वह एच. सी. एस. (ई. बी.) के पद पर नामांकन के लिए अयोग्य था, उचित नहीं है।यहां तक कि श्री सुनील के. नेहरा का यह कहना भी सही है कि खेल शुरू होने के बाद से 'खेल के नियमों' को बदला नहीं जा सका क्योंकि नामांकन प्रक्रिया 30.05.2019 पर शुरू हो गई थी।कट–ऑफ तिथि 01.11.2018 के रूप में तय की गई थी और उन्हें यह प्रस्तुत करना उचित था कि माननीय एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रहे थे कि पात्रता को 12.07.2019 पर देखा जाना है और उनके मामले पर उस कारण से विचार नहीं किया गया था और रिट याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। (पैरा 46)

आर. एस. कालरा, अधिवक्ता
अपीलार्थियों के लिए
2021 के एल. पी. ए. Nos.564 571 और 655 में।
सुनील के. नेहरा, अधिवक्ता
2021 के एल. पी. ए. No.737 में अपीलकर्ता के लिए।
हितेश पंडित, एडिशनल।एजी, हरियाणा।
गोविंद तंवर, अधिवक्ता
कंवल गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी–एचपीएससी के लिए एलपीए–564 और 737–2021 में।
हरप्रिया खानेका, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी–एचपीएससी के लिए एलपीए–571 और 655–2021 में।
विजय सिंह अहलावत, अधिवक्ता
एल. पी. ए.–564–2021 में प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।
विशाल नेहरा, अधिवक्ता
एल. पी. ए.–564–2021 में प्रतिवादी संख्या 5 के लिए।
डी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता
गौरवजीत सिंह पटवालिया, अधिवक्ता
एल. पी. ए.–564–2021 में प्रतिवादी संख्या 6 के लिए।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) वर्तमान निर्णय उपरोक्त चार अपीलों यानी 2021 की एल. पी. ए. Nos.564, 571, 655 और 737 का निपटारा करेगा, क्योंकि वे सभी दिनांकित 23.04.2021 के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

(2) रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष पर पहुँचाकर खारिज कर दिया गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 (इसके बाद '2008 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 9 (1) (ए) (iii) में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी अनुशासनात्मक का सामना नहीं कर रहे हैं

जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा था और जिनके खिलाफ विचार की तारीख को एक क्लीन स्लेट था, वे केवल जिला राजस्व अधिकारियों (डी. आर. ओ.)/तहसीलदारों के स्रोत से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) [जिसे इसके बाद 'एच. सी. एस. (ई. बी.)' के रूप में संदर्भित किया गया है] के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। विचार के लिए कट–ऑफ तिथि, जिसे शुरू में 01.11.2018 माना गया था, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा यह नोट करते हुए 12.07.2019 माना गया था कि 16 उम्मीदवारों की एक सूची उक्त तिथि पर भेजी गई थी और उक्त तिथि को पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ–तिथि लेनी होगी।सी. डब्ल्यू. पी. से सामने आने वाले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

No.24538–2019 'विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और

दूसरों के मामले को एक प्रमुख मामले के रूप में माना गया था।(3) यह देखा गया कि कार्यालय नोट थे कि सरकार याचिकाकर्ता को अयोग्य मान रही थी, क्योंकि 30.08.2019 (अनुलग्नक पी–16) पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया गया था।हालांकि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को 11.12.2019 पर हटा दिया गया था जो कट–ऑफ–डेट के बाद था।

(4) एक तर्क भी उठाया गया था जिस पर भी हमारे सामने जोर दिया गया है कि दो उम्मीदवारों धीरज चहल और अनिल कुमार दून को भी इसी तरह रखा गया था जिनके नाम भेजे गए थे।इसलिए, अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को इस तथ्य पर विचार करते हुए योग्य माना जाना चाहिए कि उसे अपने पक्ष में पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर अस्थायी रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।यह तथ्य कि दो रिक्तियां अभी भी मौजूद थीं और उन्होंने योग्यता में कटौती की थी, परिणाम के अनुसार जो एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया था, जिससे पता चलता है कि उन्होंने 74.25 अंक प्राप्त किए थे, को उजागर करने की मांग की गई थी।उक्त तर्क को माननीय एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा उस आधार पर कोई राहत नहीं मांगी गई थी, जिसके अलावा माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं दिनांकित 27.08.2019 (अनुलग्नक पी–15) द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भी भरोसा किया था कि धीरज चहल का नाम पहले ही बाहर कर दिया गया था।अनिल कुमार दून और धीरज चहल के पक्ष में 03.09.2019 की आधिकारिक सूचना से पता चलता है कि उन्होंने विचाराधीन बिक्री विलेख दर्ज नहीं किए थे और इस प्रकार, उन्हें उन व्यक्तियों की सूची से बाहर रखा गया था जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी।तदनुसार, उनके खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा रहा था, भेदभाव के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया गया था।सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय में पारित किया गया था।

भारत संघ बनाम के. वी. जानकीरमन 1 को अलग किया गया क्योंकि मुद्दा अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीनता होने के बारे में नहीं था, बल्कि उसविचाराधीनता होने के बारे में था।उक्त नियम 9 (1) (ए) (iii) को चुनौती नहीं दी गई थी और किसी भी तरह

से अवैध नहीं दिखाया गया था, इस प्रकार जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, उसे अलग कर दिया गया था और याचिकाकर्ताओं को विचार की तारीख पर पात्र नहीं माना गया था।

वकीलों के तर्कः

(5) 2021 के एल. पी. ए. Nos.564,571 और 655 में उपस्थित वकील श्री आर. एस. कालरा ने यह दिखाने की पुरजोर कोशिश की है कि माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय टिकाऊ नहीं था, जबकि दिनांकित 03/05.09.2019 (अनुलग्नक ए–2) का उल्लेख करते हुए यह दिखाने के लिए कि मामला अभी भी संबंधित प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन था और उचित आदेश पारित करने के लिए राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाना था।इसके बावजूद उक्त व्यक्तियों का नाम 13.08.2019 पर आयोजित चयन समिति की बैठक द्वारा 19.08.2019 पर सूची में भेजा गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णय केवल राजस्व मंत्री द्वारा 02.12.2019 (अनुलग्नक पी–18) पर लिया गया था और एक गुलाब सिंह (2019 के CWP No.25000 में रिट याचिकाकर्ता) के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि विजय कुमार यादव का मामला मुख्यमंत्री को भेजा गया था।अंततः 02.12.2019 पर एक निर्णय लिया गया और औपचारिक पत्र केवल 11.12.2019 (अनुलग्नक पी–20) पर जारी किया गया था और कट–ऑफ–डेट के बाद होने के कारण, इसने अपीलार्थियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया था।

(6) तदनुसार, यह तर्क दिया गया था कि एक बार कट–ऑफ–डेट 12.07.2019 थी और तब तक रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप–पत्र नहीं था और केवल 26.08.2019 (अनुलग्नक पी–13) पर उसे स्टाम्प शुल्क की कमी के लिए बिक्री विलेख दर्ज करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और उसने 27.08.2019 (अनुलग्नक पी–15) पर अपना जवाब दिया था। इसलिए, के. वी. जानकीरमन के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, कि केवल जारी किए गए ज्ञापन के कारण उन्हें एचसीएस (ईबी) के पद पर विचार से बाहर नहीं रखा जा सकता है।भरोसा को 30.08.2019 के प्रस्ताव पर रखा गया था (अनुलग्नक पी –16), जिसके तहत उसे पात्र नहीं मानते हुए, एक श्रीमती. मीतू धनखड़, जो 12.07.2019 पर आरोप–पत्र का सामना कर रही थीं और जिनकी आरोप–पत्र केवल 22.08.2019 पर छोड़ी गई थी, उन्हें पात्र माना गया था और उनका नाम 11 अन्य उम्मीदवारों के साथ मुख्य सचिव को भेज दिया गया था।

(7) 1 (1991) 4 एस. सी. सी. 109 में दायर लिखित बयान में राज्य का रुख

रिट याचिका यह थी कि उपायुक्त से एक मसौदा आरोप–पत्र बुलाया गया था और इसलिए, केवल इस तथ्य के कारण कि हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 (इसके बाद '2016 नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 14.08.2018 पर निर्णय लिया गया था, इसका मतलब होगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था।

(8) इस प्रकार, श्री कालरा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि आरोप–पत्र जारी किया गया था और जांच की कार्यवाही पूरी होने के बाद कार्रवाई की जानी थी, तो नियम 9 (1) (ए) (iii), दूसरे भाग के प्रावधान लागू होंगे।तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया था कि विभागीय कार्यवाही में विभिन्न चरण हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जांच कार्यवाही पूरी होने के बाद ही, की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर विचार करना, नामों को रोकने के लिए एक आधार होगा।तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 'या' शब्द प्रदान नहीं करता है और 'और' शब्द प्रदान करता है।यह भी तर्क दिया जाता है कि एल. पी. ए.–1523–2019 में 'मनबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' शीर्षक से पारित खण्ड पीठ के फैसले पर निर्भरता गलत थी, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति का मामला था जो सतर्कता जांच का सामना कर रहा था।मामला खंड (iv) से संबंधित था जिसमें सतर्कता ब्यूरो से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी।गैर–संशोधित नियम का उल्लेख किया गया था कि जिन व्यक्तियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं

करना पड़ रहा था और जिनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, उन्हें वापस रखा जा सकता था, यह प्रस्तुत करने के लिए कि कोई आरोप–पत्र जारी किए जाने की अनुपस्थिति में, राज्य का नाम रोकना उचित नहीं था। भरोसा को खण्ड पीठ के फैसले पर रखा गया था |

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम ओ. पी. लटका 2 में पारित किया गया जिसमें

बाद में आरोप–पत्र दिया गया था और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पहले ही किया जा चुका था।केवल विचार के कारण इसकी अनुपस्थिति में, सीलबंद आवरण प्रक्रिया का सहारा लेना उचित नहीं माना गया, क्योंकि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

(9) दूसरी ओर रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2021 के एल. पी. ए. No.737 में अपीलकर्ता की ओर से माननीय वकील श्री नेहरा ने तर्क दिया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी कथित अभाव के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए कुरुक्षेत्र के उपायुक्त की केवल एक सिफारिश थी।

2 1995 (3) एससीटी 465

05/06.01.2019 एच. टी. ई. टी.–2018 में (सी. डब्ल्यू. पी.–26287–2019 में अनुलग्नक पी–18)।उसके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का कथित निर्णय 05.02.2019 पर लिया गया था और आरोप–पत्र 05.11.2019 पर जारी किया गया था और उसे उसके जवाब पर 07.02.2020 पर हटा दिया गया था और उसे केवल एक परामर्श जारी किया गया था।इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि 01.11.2018 पर कट–ऑफ–डेट पर कोई आरोप–पत्र पर विचार भी नहीं किया गया था और माननीय एकल न्यायाधीश ने गलती से कट–ऑफ–डेट को 12.07.2019 के रूप में लिया है।एक बार जब प्रक्रिया 30.05.2019 पर शुरू हो गई थी और कट–ऑफ–डेट तय हो गई थी, तो दो कट–ऑफ–डेट्स नहीं हो सकती थीं, जैसा कि राज्य के वकील ने तर्क दिया था। तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि उन मेधावी अधिकारियों को रोककर नियम का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिनके एसीआर सही थे, जो इस आधार पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करके कटौती करने के योग्य थे कि कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था। तदनुसार, वह प्रस्तुत करता है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करने में गलती की थी।

(10) दूसरी ओर, राज्य के वकील ने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार को इस आधार पर उचित ठहराया है कि जब 2008 के नियमों में 16.02.2017 (अनुलग्नक पी–4) पर संशोधन किया गया था, तो सरकारी सेवा में आठ साल का निरंतरता जो पात्रता मानदंडों में से एक था, नायब तहसीलदार के रूप में प्रदान की गई सेवा को शामिल करके था।नायब तहसीलदारों, डी. आर. ओ./तहसीलदारों के रूप में सेवा अवधि को शामिल करने के कारण, जिनके नाम सरकार द्वारा नामित किए जाने थे, उन्होंने सी. डब्ल्यू. पी.–8502–2017 'जोगिंदर शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' के रूप में मुकदमा दायर किया था, जिसमें नायब तहसीलदारों को निजी प्रतिवादी के रूप में रखा गया था, जो नियम के संशोधन के कारण विचार के क्षेत्र में आएंगे।उक्त रिट याचिका में खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 26.04.2017 का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि रजिस्टर ए–1 के तहत एचसीएस (ईबी) के पद पर नियुक्ति के लिए डी. आर. ओ./तहसीलदार की पात्रता निर्धारित करने के लिए नायब तहसीलदार के रूप में दी जाने वाली सेवा को शामिल नहीं किया जाएगा।उक्त रिट याचिका को अंततः 13.11.2019 पर खारिज कर दिया गया और यह तर्क दिया गया कि सभी अंतरिम आदेश अंतिम आदेश में विलय हो गए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उससे पहले निजी प्रतिवादी द्वारा उक्त मामले में आवेदन दायर किए गए थे कि उन्हें दूसरों के साथ अस्थायी रूप से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए, जिसकी अनुमति 21.08.2019 (अनुलग्नक पी–10) पर दी गई थी।उक्त आदेश के स्पष्टीकरण के लिए राज्य द्वारा 26.08.2019 (अनुलग्नक पी–11) पर एक अन्य आवेदन दायर किया गया था कि

समान रूप से स्थित व्यक्ति जो पक्षकार नहीं थे, उन्हें भी उक्त आदेश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए।उक्त आवेदन को 29.08.2019 (अनुलग्नक पी–12) पर अनुमति दी गई थी और सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को लाभ दिया गया था।

(11) यह राज्य का मामला है कि उसी के अनुसरण में, समिति की एक बैठक 31.08.2019 पर आयोजित की गई थी।समिति ने जोगिंदर शर्मा (उपरोक्त) के मामले में पारित अंतरिम आदेशों को देखते हुए 39 व्यक्तियों डी. आर. ओ./तहसीलदारों (11+ 21+ 7) के नाम एच. पी. एस. सी. को भेजे थे।तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तियों के दूसरे समूह के लिए पात्रता मानदंड को 12.07.2019 पर देखा जाना चाहिए। तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि 26.06.2019 पर एफसीआर द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अनिल कुमार दून और धीरज चहल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने बिक्री विलेखों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए, उनके नाम सही तरीके से भेजे गए थे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया गया था।हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि मीतू धनखड़ के मामले में जाँच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2019 प्रस्तुत की गई थी और कार्यवाही केवल 22.08.2019 पर दायर की गई थी और उसका नाम 30.08.2019 पर भेजा गया था।

(12) तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि नियम के इरादे को देखा जाना चाहिए और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड की आवश्यकता थी और यह कानून बनाने वाले अधिकारियों को देखना है कि यदि कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, तो नाम एचसीएस (ईबी) के पद के लिए विचार के लिए नामित नहीं किया जाना था। **सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायाधीश एस. आर. तेंदुलकर और अन्य 3 और मोहन कुमार सिंघानिया और** अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 4 के फैसले पर भरोसा रखा गया था |

यह प्रस्तुत करने के लिए कि किसी अन्य तरीके से नियम की व्याख्या करना न्यायालय का काम नहीं है।श्री नेहरा द्वारा उठाए गए इस तर्क का खंडन करने के लिए भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 09.07.2019 (अनुलग्नक पी–8) कभी भी चुनौती का विषय नहीं था, जिसमें यह प्रावधान था कि दोनों मामलों में विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता मंजूरी और ईमानदारी पर विचार किया जा रहा था, जिसने 12.07.2019 की तारीख तय की थी, जिसके तहत कट–ऑफ–डेट के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया था।

(13) 2021 के एल. पी. ए. No.564 में निजी प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने भी अदालत की सहायता की है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने उन आवश्यक पक्षों को शामिल नहीं किया है जिनके खिलाफ भेदभाव की याचिका लेने के लिए आरोप लगाए गए हैं।निजी प्रतिवादी संख्या 4 से 6 द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिन्होंने खुद को शामिल किया था, क्योंकि वे योग्यता क्षेत्र में थे और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खुद को शामिल किया था

3 आकाशवाणी 1958 एससी 538
4 ए. आई. आर. 1992 एस. सी.1

कि उन्हें बाहर नहीं निकाला गया।यह श्री पटवालिया का मामला है कि केवल दिनांकित 30.08.2019 (अनुलग्नक पी –16) जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर विचार किए जाने के कारण रिट याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराया गया था।तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि जिन उम्मीदवारों के नाम गलत तरीके से एच. सी. एस. (ई. बी.) के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग को भेजे गए थे, उनमें से किसी को भी गुमराह न करने के कारण उनके खिलाफ कोई राहत नहीं दी जा सकती है।यह प्रस्तुत किया

जाता है कि परिणाम 17.11.2019 (अनुलग्नक ए–6) पर घोषित किया गया था और 23 पदों के खिलाफ 21 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, जो रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन था और रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं में संशोधन नहीं किया था और इसलिए, कोई राहत नहीं ले सकते थे।

(14) तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि संशोधन के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए, हालांकि के. वी. जानकीरमन के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून के अनुसार विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने के लिए आरोप पत्र का कारण दिखाएँ नोटिस सामान्य नियम है, लेकिन नियम को चुनौती नहीं दी गई है, यह रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खड़ा होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और राज्य का रुख स्पष्ट है कि कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था और इसलिए, न्यायालय प्रतिमा के संबंध में अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था।

सारेगामा इंडिया लिमिटेड बनाम नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड 5 और हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और दूसरा बनाम मेसर्स जगदम्बा ऑयल मिल्स और अन्य 6 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था

।इसी तरह, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिए गए गलत लाभ पर, यह उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार नहीं दे सकता है और यह एक नकारात्मक अवधारणा नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें शामिल नहीं किया गया था और न ही उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। **उक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में शांति स्पोर्ट्स क्लब और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य तथा आर. मुथुकमार और अन्य बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको और अन्य में पारित फैसले पर भी भरोसा किया गया है।**

रिट याचिकाकर्ताओं की दलीलें:

(15) 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.24538 'विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' में दलीलें यह दर्शाती रहीं कि प्रार्थना

5 2022 (1) एस. सी. सी. 701

6 (2002) 3 एससीसी 496

7 (2009) 15 एससीसी 705

8 2022 लाइव लॉ (एससी) 140

रजिस्टर ए–1 से एचसीएस (ईबी) के परमादेश पर नियुक्ति के लिए 2008 के नियमों के नियम 9 (ए) (iii) के प्रावधानों के अनुसार उनके नाम की सिफारिश करने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट जारी करने के लिए था।जोगिंदर शर्मा (उपरोक्त) के मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन और उसमें पारित 21.08.2019 के अंतरिम आदेश के आधार पर और उन्हें योग्य उम्मीदवार के रूप में मानने के लिए अपना रिकॉर्ड भेजने की मांग की गई थी।

(16) 30.08.2019 (अनुलग्नक पी–16) की उस सूची को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी जिसमें उनके साथ सह–अपीलकर्ता दिनेश सिंह, रविंदर सिंह और गुलाब सिंह को अयोग्य घोषित किया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा था और सूची प्रतिवादी संख्या 3 को भेज दी गई थी और यह कि उन्होंने कोई अयोग्यता नहीं ली थी।

(17) याचिका के पैराग्राफ No.30 में यह अनुरोध किया गया था कि धीरज चावला (sic चहल), हरि ओम, बलराज और ब्रह्म प्रकाश भी इसी तरह के स्थित व्यक्ति थे जिनके खिलाफ CAG रिपोर्ट थी, जिसे अनुलग्नक P–14 के रूप में संलग्न किया गया था। 04.09.2019 पर, याचिकाकर्ता को माननीय एकल न्यायाधीश से दस्तावेजों के साक्षात्कार/जांच के लिए अस्थायी रूप से विचार करने के निर्देश मिले थे, जो निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन था और परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

(18) राज्य का रुख पहले ही देखा जा चुका है कि 2016 के नियमों के तहत उसके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने पर विचार किया जा रहा था क्योंकि उसने बिक्री विलेखों में कमी को स्वीकार किया था।इस प्रकार, वह नियम के अनुसार पात्र नहीं था।यह राज्य का मामला था कि सेवा रिकॉर्ड और अनुभव पर दिनांकित 09.07.2019 (अनुलग्नक पी–8) पत्र के अनुसार 01.11.2018 तक विचार किया जाना है।राज्य का जवाब था कि उक्त व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगने की सिफारिश की गई थी, लेकिन रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों में कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि उनके मामलों में केवल स्पष्टीकरण मांगा गया था।तदनुसार, यह राज्य का बचाव था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

(19) इसी तरह, 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.25000 'गुलाब सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' में दलीलें यह दर्शाती हैं कि इसी तरह की प्रार्थना की गई थी।गुलाब सिंह को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन दस्तावेजों के साक्षात्कार/जांच के लिए अस्थायी रूप से विचार करने के लिए माननीय एकल न्यायाधीश से दिनांकित 09.09.2019 का अंतरिम आदेश भी मिला।

(20) अपने जवाब में राज्य का रुख यह था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30.07.2018 पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया था।

याचिकाकर्ता को 12 बिक्री विलेख दर्ज करने के लिए पत्र लिखें।हालांकि, उपायुक्त से मसौदा आरोप–पत्र बुलाया गया था और आरोप–पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है।कट–ऑफ–डेट के बारे में स्टैंड 01.11.2018 है और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जिनके नाम CAG रिपोर्ट में उल्लिखित किए गए हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार नहीं किया गया था और केवल स्पष्टीकरण मांगा गया था।यह विवादित नहीं है कि 11.12.2019 (अनुलग्नक पी–20) पर विजय कुमार यादव और गुलाब सिंह दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को हटा दिया गया था।(21) 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. No.393 'रविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' में याचिकाओं से पता चलता है कि रजिस्टर–ए 1 से नियुक्ति के दावे पर विचार इस आधार पर किया गया था कि याचिकाकर्ता से कम योग्यता वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी।उक्त रिट याचिका 17.11.2019 पर परिणाम घोषित होने के बाद दायर की गई थी।इस तरह की शिकायत यह थी कि पात्रता को 28.06.2019 पर देखा जाना था और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं थी।

(22) अपने जवाब में राज्य का बचाव यह था कि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का निर्णय लिया था, जिसने 10 कम मूल्य वाले बिक्री विलेख दर्ज किए थे।यह रिकॉर्ड की बात है कि किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को शुरू करने से पहले 30.12.2019 (अनुलग्नक पी–10) पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।राज्य का बचाव स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता से अस्थायी रूप से पूछताछ की गई थी।वह विचार की जा रही कार्रवाई और उम्मीदवारों की उपयुक्तता और पात्रता के कारण पात्र नहीं थे, जिन पर मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित मापदंडों पर विचार किया जाना था।

(23) इसी तरह, 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.26287 में 'दिनेश सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' ने 2008 के नियमों के नियम 9 (1) के प्रावधानों के अनुसार सिफारिश के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी।सूची (अनुलग्नक पी–9) को और रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत नियम 7 के तहत उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय लिया गया था।04.09.2019 पर आयोजित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल, सेक्टर–3, कुरुक्षेत्र में एच. टी. ई. टी. परीक्षा 2018 में उनकी ड्यूटी तय की गई थी और उन्हें सचिवालय से परीक्षा के पर्चे लेने और उपरोक्त केंद्र में वितरित करने के लिए बुलाया गया था।वह इस तथ्य के बावजूद परीक्षा केंद्र पहुंचे थे कि उनकी दो साल की बेटी को चिकित्सा की गंभीर आवश्यकता थी।

(24) अपने जवाब में राज्य का रुख यह था कि उसे निर्देश दिए गए थे।

05.01.2019 पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना। 05.02.2019 पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया था और इसलिए, वह एच. सी. एस. (ई. बी.) के पद पर नामांकन के लिए अयोग्य थे।

(25) यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता पर 05.11.2019 पर आरोप पत्र दायर किया गया था और एक परामर्श जारी करके 07.02.2020 (अनुलग्नक पी–19) पर कार्यवाही को हटा दिया गया था।इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 01.11.2018 पर कट–ऑफ–डेट पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई विचार नहीं था।

संबंधित मुद्दों पर विचार करना।

(26) 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.24538 के रिकॉर्ड 'विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' के अवलोकन से पता चलता है कि एच. सी. एस. (ई. बी.) की 9 रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 17.04.2017 (अनुलग्नक पी–5) के नोटिस के माध्यम से निर्णय लिया गया था।16.02.2017 पर नियम के संशोधन के कारण, यह जोगिंदर शर्मा के मामले (ऊपर) के रूप में मुकदमेबाजी का कारण बना और 26.04.2017 दिनांकित अंतरिम आदेश निम्नलिखित शर्तों में पारित किया गयाः–

"गति की सूचना।

हमारे पूछने पर, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता बाल्यान, जो अदालत में मौजूद हैं, सभी प्रतिवादी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।दिन के दौरान उसे पेपर–बुक के तीन सेट सौंपे जाएं।

20.07.2017 पर सूची बनाएँ।

जवाब, यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ताओं के वकील को अग्रिम प्रति के साथ दाखिल किया जाए।

एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि रजिस्टर ए–1 के तहत हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों की पात्रता निर्धारित करते समय, नायब तहसीलदार के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवा को शामिल नहीं किया जाएगा।"

(27) मान लीजिए, सरकार द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी, क्योंकि इस पहलू के बारे में अनुच्छेद संख्या में विशेष रूप से अनुरोध किया गया है।19 विजय कुमार यादव के मामले और किस तथ्य को राज्य द्वारा रिकॉर्ड का विषय स्वीकार किया गया है। इसके बाद, 30.05.2019 (अनुलग्नक पी–7) पर जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों के रजिस्टर ए–1 से 23 पदों को भरने का निर्णय लिया गया और वित्तीय आयुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन और समेकन विभागों को नामों की सिफारिश करने के लिए कहा गया।

01.11.2018 पर पात्रता की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें।उक्त पत्राचार का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः–

> "मुझे ऊपर उल्लिखित विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 के नियम 9 के संदर्भ में वर्ष 2019 के जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों के रजिस्टर ए–1 से एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) की 23 रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया है।इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त भर्ती के लिए नियमों के अनुसार रिक्तियों की संख्या के पांच गुना

से अधिक योग्य जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों की सूची भेजें। जिन डी. आर. ओ./तहसीलदारों के नामों की सिफारिश की जानी है, उन्हें निम्नलिखित बातों को पूरा करना चाहिए:**01.11.2018 पर पात्रता की शर्तें।**

(क)(i) आठ वर्ष की निरंतर सरकारी सेवा पूरी की हो।हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.8502–जोगिंदर शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में पारित अंतरिम आदेशों/निर्देशों तारीख 26.04.2017 के अनुसार पात्रता का निर्धारण करते समय नायब तहसीलदारों के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा को शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(iii) अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं कर रहा है और जिसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा है; और

(iv) सतर्कता के दृष्टिकोण से स्पष्ट है;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है।"

(28) जैसा कि देखा गया है, इसके बाद 09.07.2019 (अनुलग्नक पी–8) पर स्पष्टीकरण दिया गया कि उपरोक्त पुनर्निर्मित 26.04.2017 के अंतरिम आदेश को देखते हुए पात्रता निर्धारित करते समय नायब तहसीलदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को शामिल नहीं किया जाना था।यह भी स्पष्ट किया गया कि 01.11.2018 के बाद और 50 वर्ष की आयु की पात्रता 01.11.2018 या बाद और ए. सी. आर. पर वर्ष 2018–2019 तक विचार किया जाना था और अनुभव को सिफारिश की तारीख तक लिया गया था।यह आगे स्पष्ट किया गया कि डी. आर. ओ./तहसीलदार जिन्होंने 01.11.2018 पर 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, लेकिन सिफारिश की तारीख तक 01.11.2018 पर और उसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली थी, उनके अनुभव और ए. सी. आर. रिकॉर्ड पर केवल 01.11.2018 तक ही विचार किया जाना चाहिए।हालांकि, दोनों मामलों में विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता मंजूरी और ईमानदारी पर विचार किया जाना था।

पात्र डी. आर. ओ./तहसीलदारों को 12.07.2019 द्वारा रिक्तियों की संख्या के पाँच गुना से अधिक नहीं भेजा जाना था। 09.07.2019 दिनांकित उक्त संचार के प्रासंगिक भागों को नीचे पढ़ा गया है:–

"2.----------यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डी. आर. ओ./तहसीलदार, जो अन्यथा पात्र हैं और जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है 01.11.2018 को या बाद में, उनके ए. सी. आर. को वर्ष 2018–2019 तक माना जाना चाहिए और सिफारिश की तारीख तक के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।डी. आर. ओ./तहसीलदार, जिन्होंने 1.11.2018 पर 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, लेकिन सिफारिश की तारीख तक 1.11.2018 पर और उसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली थी, उनके अनुभव और ए. सी. आर. रिकॉर्ड पर केवल 1.11.2018 तक ही विचार किया जाना चाहिए।हालांकि, दोनों मामलों में विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता मंजूरी और ईमानदारी पर विचार किया जाना चाहिए।

XXXXXXXXX

5. इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि 12.07.2019 द्वारा उपरोक्त भर्ती के लिए नियमों के अनुसार रिक्तियों की संख्या के पांच गुना से अधिक योग्य जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों की सूची भेजी जाए।इस तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(29) यह स्पष्ट है कि 19.08.2019 दिनांकित पत्र के माध्यम से, जिसका उल्लेख अनुलग्नक पी–17 में मिलता है, मुख्य सचिव ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की सिफारिश के अनुसार 13.08.2019 पर आयोजित चयन समिति की बैठक के आधार पर 13 उम्मीदवारों के नाम भेजे।उक्त 13 उम्मीदवारों के नामों में धीरज चहल और अनिल कुमार दून शामिल हैं।

Sr.No	नाम और पदनाम एस/एस/श्रीमती/सुश्री
1	नरेश कुमार, डी. आर. ओ.
2	दिलबाग सिंह, डी. आर. ओ
3	हरि ओम अत्री, डी. आर. ओ.
4	राजेंद्र कुमार, डी. आर. ओ.
5	अमरिंदर सिंह मनैस, डी. आर. ओ.
6	ब्रह्म प्रकाश, डी. आर. ओ.
7	धीरज चहल, डी. आर. ओ

8	दर्शन कुमार, तहसीलदार
9	बलराज सिंह, डी. आर. ओ.
10	कुलबीर सिंह ढाका, डी. आर. ओ.
11	मानव मलिक, डीआरओ
12	दिनेश, डी. आर. ओ
13	अनिल कुमार दून, डी. आर. ओ

(30) इसके बाद, दिनांक 30.08.2019 (अनुलग्नक पी–16) के कार्यालय टिप्पणियों के अनुसार केवल 11 अधिकारियों ने कटौती की और उनमें से श्रीमती. मीतू धनखड़, हालांकि नोट में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि वह 12.07.2019 पर आरोप–पत्र का सामना कर रही थी और उसे 22.08.2019 पर हटा दिया गया था।इसमें चार अपीलार्थियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।यह ध्यान देना उचित है कि 21.08.2019 (अनुलग्नक पी–10) और 29.08.2019 (अनुलग्नक पी–12) पर, 26.04.2017 दिनांकित आदेश को जोगिंदर शर्मा के मामले (ऊपर) में खण्ड पीठ से संशोधित किया गया था और उसके बाद, समिति ने 31.08.2019 पर बैठक की और 39 नामों की एक सूची भेजी।

(31) दिनांक 03.09.2019 (अनुलग्नक ए–2) के अनुसार, जिसे माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा गया था, जो कि नोट करने वाला हिस्सा है, यह स्पष्ट करता है कि उपायुक्त श्री अनिल दून और श्री धीरज चहल के जवाब से सहमत थे कि उन्होंने विचाराधीन बिक्री विलेख को पंजीकृत नहीं किया था, बल्कि वे उसमें नामित नायब तहसीलदार द्वारा पंजीकृत थे।

परिणामस्वरूप, उक्त दो व्यक्तियों के नाम नामांकन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजे गए और यह नोट किया गया कि यह बिना किसी पक्षपात के और बड़े हित में और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए था।जिन विभिन्न अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा था, उनकी सूची भी नोटिंग भाग में शामिल की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता–गुलाब सिंह और विजय कुमार यादव का नाम भी शामिल था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जिला प्रशासन से आरोप–पत्र के मसौदे की प्रतीक्षा की जा रही थी और उनके नाम अस्थायी साक्षात्कार के लिए अग्रेषित किए गए थे, दिनांक 21.08.2019 और 29.08.2019 के अंतरिम आदेशों के अनुसार, दिनांक 30.08.2018 के महाधिवक्ता की सलाह के साथ पढ़े गए अन्य संबंधित मामलों के साथ।नतीजतन, उनके मामलों को उचित आदेश पारित करने के लिए विचार के लिए राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया।

(32) आयोग ने इस प्रकार 54 व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की थी जिनका साक्षात्कार 04.09.2019 पर किया जाना था जिसमें विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नाम शामिल थे।

विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 943

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

अन्य उम्मीदवारों के अलावा वर्तमान अपीलार्थियों का भी उल्लेख मिलता है।यह विवादित नहीं है कि परिणाम 17.11.2019 पर घोषित किया गया था और केवल 21 व्यक्ति पात्र पाए गए थे।जो परिणाम घोषित किया गया था, वह विभिन्न रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन था, जो इस प्रकार हैः–

"परिणाम

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 की रिक्तियों के खिलाफ डी. आर. ओ./तहसीलदारों के रजिस्टर ए–। से एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) के पदों पर भर्ती के लिए परिणाम को अंतिम रूप दे दिया है।पंचकूला में आयोग के कार्यालय में 04.09.2019 पर आयोजित वाइवा–वॉस/साक्षात्कार के आधार पर, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 की रिक्तियों के लिए डी. आर. ओ./तहसीलदारों के रजिस्टर ए–। से एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) के पदों के लिए परिणाम को अंतिम रूप दिया है।नीचे दिखाए गए नाम योग्यता के आदेश में हैं।

श्रेणीःसामान्य (पदों की संख्या–23) (21 पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हैं)

अमरिंदर सिंह मनैस, डी. आर. ओ.	मीतू धनखड़, तहसीलदार
अनिल कुमार दून, डी. आर. ओ	नरेश कुमार, डी. आर. ओ.
ब्रह्म प्रकाश, डी. आर. ओ.	नवदीप सिंह, तहसीलदार
दर्शन कुमार, तहसीलदार	परवीन कुमार, तहसीलदार
धीरज चहल, डी. आर. ओ	राजेंद्र कुमार, डी. आर. ओ.
दिलबाग सिंह, डी. आर. ओ	राजेश कुमार, डी. आर. ओ.
दिनेश, डी. आर. ओ	राजेश पुनिया, तहसीलदार
हितेंद्र कुमार, तहसीलदार	संजय बिश्नोई, डी. आर. ओ.
जगदीश चंदर, तहसीलदार	संजीव कुमार, तहसीलदार
कुलबीर सिंह ढाका, डी. आर. ओ.	सुभाष चंदर, तहसीलदार
मानव मलिक, डीआरओ	

ध्यान दें:

1. परिणाम तैयार करते समय उचित सावधानी बरती गई है।हालाँकि, किसी भी विज्ञापन त्रुटि से इनकार नहीं किया जा सकता है।आयोग के पास बाद में किसी भी त्रुटि को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
2. उपरोक्त परिणाम आगे सी. डब्ल्यू. पी. के परिणाम के अधीन है।

2019 का No.24538, 2019 का 17295, 2019 का 26093, 2019 का 23499, 2019 का 24738, 2019 का 25010, 2019 का 25000 और 2019 का 26287 माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

3. यह परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है अर्थातः//एचपीएससी।गव.में।

तारीखः17.11.2019"

सचिव

हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला

(33) यह भी विवादित नहीं है कि 03.09.2019 पर, किस पत्र का उल्लेख अनुलग्नक पी–17 में भी मिलता है, 11 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे, जिसमें श्रीमती मीतू धनखड़ का नाम शामिल था। यह पहलू दिनांकित 15.11.2019 पत्र से भी स्पष्ट होगा जिसे आयोग द्वारा मुख्य सचिव को संबोधित किया गया था, जो निम्नानुसार हैः–

"विषयःवर्ष 2019 की रिक्तियों के विरुद्ध डी. आर. ओ./तहसीलदारों के रजिस्टर ए. आई. के लिए एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) के 23 पदों पर भर्ती।

आदरणीय मैडम,

मुझे आपके पत्र No.41/2/2019–5SII दिनांकित 19.08.2019 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसे आपने वर्ष 2019 की रिक्तियों के लिए डी. आर. ओ./तहसीलदारों के रजिस्टर ए–I के लिए एच. सी. एस. (Ex.Br) की 23 रिक्तियों को भरने के लिए अनुरोध भेजा है।इस भर्ती के लिए आयोग अधिकारी के कार्यालय में कुल 54 नाम प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

(ए) पत्र No.41/2/2019–5SII दिनांकित 19.08.2019 (प्रति संलग्न)

अधिकारियों के नाम और पद नाम (एस/एस. एम. टी.)	
1. नरेश कुमार, डी. आर. ओ.	9. बलराज सिंह, डी. आर. ओ.
2. दिलबाग सिंह, डी. आर. ओ	10. कुलबीर सिंह ढाका, डी. आर. ओ.
3. हरि ओम अत्री, डी. आर. ओ.	11. मानव मलिक, डीआरओ
4. राजेंद्र कुमार, डी. आर. ओ.	12. दिनेश, डी. आर. ओ
5. अमरिंदर सिंह मनैस, डी. आर. ओ.	13. अनिल कुमार दून, डी. आर. ओ

6. ब्रह्म प्रकाश, डी. आर. ओ.	
7. धीरज चहल, डी. आर. ओ	ध्यान देंः सभी 13 अधिकारियों का रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।
8. दर्शन कुमार, तहसीलदार	

(ख) 31.08.2019 और पत्र No.62/82/2019–4–सतर्कता (II)/9377 दिनांक 02.09.2019 पर आयोजित चयन समिति की बैठक की कार्यवाही (प्रतियां संलग्न)।

निम्नलिखित 11 अधिकारी जो 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.8502 में याचिकाकर्ता हैं और इसी तरह स्थित अधिकारी जिनके रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया थाः

अधिकारियों के नाम और पदनाम (एस/एस. एम. टी.)	
1. राजेश पूनिया, तहसीलदार	7. परवीन कुमार, तहसीलदार
2. हितेंद्र कुमार, तहसीलदार	8. जगदीश चंदर, तहसीलदार
3.मीतू धनखड़, तहसीलदार	9. नवदीप सिंह, तहसीलदार
4. सुभाष चंदर, तहसीलदार	10. संजय कुमार, तहसीलदार
5. श्याम लाल, डी. आर. ओ. (सतर्कता मंजूरी को लंबित दिखाया गया था)।	11. राजेश कुमार, डी. आर. ओ.
6. संजय बिश्नोई, डी. आर. ओ.	ध्यान देंः सभी 11 अधिकारियों का रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।

निम्नलिखित 21 अधिकारी जो सी. डब्ल्यू. पी. No.8502/2017 में याचिकाकर्ता हैं, लेकिन या तो उनका रिकॉर्ड सही नहीं था या कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हैं जैसा कि ऊपर उल्लिखित कार्यवाही में उल्लेख किया गया हैः

अधिकारियों के नाम और पदनाम (एस/एस. एम. टी.)	
1. विजय कुमार, डी. आर. ओ	12. दिनेश सिंह, तहसीलदार
2. मनीष कुमार यादव, तहसीलदार	13. रविंदर सिंह, तहसीलदार
3. विकास सिंह, तहसीलदार	14. रण विजय सुल्तानिया, तहसीलदार
4. नवजीत कौर बरार, तहसीलदार	15. गुलाब सिंह, तहसीलदार
5. विजय मोहन स्याल, तहसीलदार,	16. विरेन्द्र कुमार, तहसीलदार

6. राकेश कुमार, तहसीलदार	17. संजय चौधरी, तहसीलदार
7. पुन्नयदीप शर्मा, तहसीलदार	18. दर्पन कंबोज, तहसीलदार
8. नरेंदर सिंह दलाल, तहसीलदार	19. गुरदेव, तहसीलदार
9. चेतना चौधरी, तहसीलदार	20. संजीव कुमार नागर,तहसीलदार
10. रविंदर हुड्डा, तहसीलदार	21. अनिल कुमार, तहसीलदार
11. राकेश, तहसीलदार	

निम्नलिखित 7 अधिकारी जो सी. डब्ल्यू. पी. No.8502/2017 में पक्षकार नहीं हैं, लेकिन समान रूप से स्थित व्यक्ति हैं और विभाग द्वारा पात्र नहीं पाए गए हैं जैसा कि ऊपर उल्लिखित कार्यवाही में उल्लेख किया गया हैः

अधिकारियों के नाम और पदनाम (एस/एस. एम. टी.)	
1. मनबीर सिंह, डी. आर. ओ.	5. सुशील शर्मा, तहसीलदार
2. राज कुमार भोरिया, डी. आर. ओ.	6. विक्रम सिंगला, तहसीलदार

3. बिजेंद्र राणा, तहसीलदार	7. नवनीत, तहसीलदार
4. प्रमोद चहल, डी. आर. ओ.	ध्यान दें:

2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.23499 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 2 अधिकारियों के नाम भी भेजे गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी श्रेणी और उससे ऊपर के 6 ए. सी. आर. और ऊपर उल्लिखित कार्यवाही में उल्लिखित अच्छी श्रेणी से कम के 2 ए. सी. आर. नहीं होने के कारण अयोग्य पाया गया है:

अधिकारियों के नाम और पदनाम (एस/एस. एम. टी.)	
1. अभिषेक बिबियन, डी. आर. ओ.	2. राज कुमार, डी. आर. ओ.

आयोग ने उपरोक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए उपरोक्त सभी 54 उम्मीदवारों के साक्षात्कार 04.09.2019 पर आयोजित किए थे, लेकिन 2017 के CWP No.8502 के लंबित निर्णय और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं को देखते हुए परिणाम घोषित नहीं किया गया था।2017 का सी. डब्ल्यू. पी. No.8502 6 अन्य रिट याचिकाओं के साथ में उल्लिखित है।

विजय कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 947
(जी. एस. संधवालिया, जे.)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2019 (प्रति संलग्न) के अपने आदेशों के माध्यम से निर्णय लिया गया है।अब आयोग ने उक्त भर्ती का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आयोग को सूचित करें कि उपरोक्त 54 अधिकारियों में से किन अधिकारियों को भर्ती के लिए योग्य माना जाना है।

उपरोक्त के अलावा, यह भी अनुरोध किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी जिसका रिकॉर्ड आयोग को नहीं भेजा गया है और वह इस भर्ती के लिए योग्य पाया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड भी आयोग को भेजा जा सकता है ताकि आयोग को अंतिम परिणाम घोषित करते समय किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।"

तर्क का पक्ष:

(34) उपरोक्त अभिलेख से इस न्यायालय की सुविचारित राय में निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होंगे:

(i) क्या अपीलार्थियों के नाम आगे नहीं बढ़ाने में प्रतिवादी की कार्रवाई उचित कारणों से और 2008 के नियमों के नियम 9 (1) (ए) (iii) के प्रावधानों के अनुसार थी;

((ii) क्या तथ्यों और परिस्थितियों में राज्य के वकील द्वारा तर्क दिए जाने के अनुसार दो कट–ऑफ–डेट्स हो सकती हैं; और

(iii) क्या इस तथ्य के कारण कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को लाभ दिया गया था, अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू करके भेदभाव का कोई दावा किया जा सकता है।

(35) विचाराधीन नियम के प्रावधान इस प्रकार हैं:–

"9. रजिस्टर ए–आई के लिए उम्मीदवारों का चयन:–

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा सरकार में वित्तीय आयुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन, सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक, जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों की एक सूची तैयार करेगा जो रिक्तियों की संख्या के पांच गुना से अधिक नहीं होगी और इसे एक समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और

दो अन्य अधिकारी और सदस्य होंगे, जिन्हें सरकार समय–समय पर नामित करेगी, एक ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तुत किया जाएगा जो –

(क) (i) निरंतर सरकार के आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं

नायब तहसीलदार के रूप में प्रदान की गई सेवा सहित सेवा;

(ii) संबंधित प्राधिकारी द्वारा नाम प्रस्तुत करने की तारीख से ठीक पहले नवंबर के पहले दिन पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(iii) अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं कर रहा है और जिसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा है; और

((iv) सतर्कता के दृष्टिकोण से स्पष्ट है;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित समिति ऐसे सभी नामों पर विचार करेगी और एक सूची तैयार करेगी, जो रजिस्टर ए–। में दर्ज किए जाने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यक्तियों की रिक्तियों की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। इस सूची को आयोग को योग्यता के क्रम में और रिक्तियों की संख्या के बराबर, सूची में दर्ज किए गए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को रजिस्टर ए–। में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के रूप में चुने जाने की सिफारिश आदेश के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इस तरह से चुने गए व्यक्तियों के नाम रजिस्टर ए–। में दर्ज किए जाएंगे।

(36) उपर्युक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि नियम 9 (1) (ए) (iii) में प्रावधान है कि समिति को नामांकन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के पांच गुना से अधिक नहीं के डी. आर. ओ./तहसीलदारों की सूची तैयार करने के लिए सरकार द्वारा एक तारीख निर्धारित की जानी है।नियम के अनुसार डी. आर. ओ./तहसीलदारों की 8 साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता है और नायब तहसीलदार के रूप में प्रदान की गई सेवा को गिना जाना है।संबंधित प्राधिकारी द्वारा नाम जमा करने की तारीख से ठीक पहले नवंबर के पहले दिन उम्मीदवार की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।खंड (ii) के अनुसार इसी तरह उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं करना था और जिनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा था और खंड (iv) के तहत सतर्कता के दृष्टिकोण से स्पष्ट होना था।

(37) 30.05.2019 दिनांकित पत्र, जिसमें रजिस्टर ए–1 से 23 पदों को भरने का निर्णय लिया गया था, विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि जिन नामों की सिफारिश की जानी थी, वे 01.11.2018 पर पात्रता को पूरा करना चाहिए।उक्त पत्र के प्रासंगिक हिस्से को पहले ही पैराग्राफ No.27 में पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।अनुशंसा 28.06.2019 द्वारा भेजी जानी थी और उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी भी अनुशंसा पर विचार और विचार नहीं किया जाना था।

(38) 26.04.2017 द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण

जोगिंदर शर्मा के मामले में (ऊपर), नायब तहसीलदार के रूप में प्रदान की गई सेवा

8 साल की निरंतर योग्यता वाली सरकारी सेवा पर विचार करने के लिए तहसीलदार को शामिल नहीं किया जाना था।इसके बाद, दिनांक 09.07.2019 (अनुलग्नक पी–8) का पत्र इस तथ्य को दोहराते हुए जारी किया गया कि संबंधित अधिकारियों की आयु 01.11.2018 पर या उसके बाद 50 वर्ष से कम होनी चाहिए और उनके ए. सी. आर. पर वर्ष 2018–2019 तक विचार किया जाना चाहिए और सिफारिश की तारीख तक के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।डी. आर. ओ./तहसीलदार, जिन्होंने सिफारिश की तारीख तक 01.11.2018 के बाद 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, उनके ए. सी. आर. और अनुभव को केवल 01.11.2018 तक ही माना जाना था।इसी तरह दोनों मामलों में विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता मंजूरी और ईमानदारी पर विचार किया जाना था।इसके बाद, आवेदन दायर किए गए और खण्ड पीठ के आदेश को 21.08.2019 (अनुलग्नक पी–10) और 29.08.2019 (अनुलग्नक पी–12) पर संशोधित किया गया, जिसमें उक्त मामले में निजी प्रतिवादी और समान रूप से स्थित व्यक्तियों पर भी विचार किया जाना था और उन्हें अन्य लोगों के साथ अस्थायी रूप से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।इस प्रकार, कट–ऑफ–डेट को उस तारीख से देखा जाना चाहिए जो नियमों में प्रदान की गई है, जो 2008 के नियमों के नियम 9 (1) (ए) (iii) के अनुसार 01.11.2018 होगी, क्योंकि प्रक्रिया 30.05.2019 पर शुरू की गई थी।इस प्रकार, यह कहना राज्य के मुँह में नहीं है कि लंबित मुकदमेबाजी के कारण और खण्ड पीठ के दिनांक 21.08.2019 और 29.08.2019 के आदेशों के कारण, एक अलग कट–ऑफ–डेट लागू होगी और बाद में भेजे गए नामों के रूप में एक अंतर था।इस तरह की पात्रता को नियम में ही प्रदान किए गए रूप में देखा जाना चाहिए और माननीय एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि कट–ऑफ–डेट 12.07.2019 है, एक गलत धारणा पर आधारित है।(39) निष्कर्ष में दर्ज किया गया कि 30.05.2019 दिनांकित पत्र को 09.07.2019 दिनांकित पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो एक धारणा पर आधारित है जो ऊपर उद्धृत नियम के विपरीत होगा।न ही उक्त पत्र में कहीं भी यह उल्लेख किया गया है कि यह पहले के दिनांकित 30.05.2019 पत्र का स्थान लेता है और न ही किसी भी तरह से इसकी अनुमति होगी।केवल इसलिए कि पात्र व्यक्तियों की सूची भेजने के लिए कट–ऑफ–तिथि को 12.07.2019 तक बढ़ा दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि कट–ऑफ–तिथि नियम के प्रावधानों के कारण ही बदल जाएगी, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि आयु को संबंधित प्राधिकरण द्वारा नाम जमा करने की तारीख से ठीक पहले, नवंबर के पहले दिन देखा जाना चाहिए।इस प्रकार उक्त तिथि को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 8 साल की सेवा की अनिवार्य आवश्यकता सहित उम्मीदवारों की पात्रता और अयोग्यता, यदि कोई हो, पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि देखी जानी चाहिए।

(40) ऐसी परिस्थितियों में, इस तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है कि 16 उम्मीदवारों की सूची 12.07.2019 पर भेजी गई थी और उक्त तिथि को पात्रता के निर्धारण के लिए कट–ऑफ–डेट माना जाना चाहिए।नतीजतन, इस अदालत की राय है कि कट–ऑफ–डेट को 01.11.2018 माना जाना चाहिए।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लिखित बयान में भी राज्य की प्रतिक्रिया के अनुसार यह उनका विशिष्ट रुख था कि अनुभव पर 01.11.2018 तक विचार किया जाना चाहिए और इसलिए, यह तर्क देना राज्य के मुंह में नहीं है कि एक अलग कट–ऑफ–डेट को अपनाया जाना है।अन्यथा भी 09.07.2019 (अनुलग्नक पी–8) दिनांकित पत्र भी इस न्यायालय द्वारा 21.08.2019 और 29.08.2019 पर पारित किसी भी अंतरिम आदेश से पहले जारी किया गया था और इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय के आदेशों के कारण दो अलग–अलग कट–ऑफ–तिथियों पर विचार किया जा रहा था, बिना किसी आधार के है।

(41) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अब यह देखा जाना चाहिए कि क्या उक्त कट–ऑफ–डेट पर रिट याचिकाकर्ता/अपीलार्थी पात्र थे और क्या वे अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे थे या नहीं और उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था।उक्त नियम का स्पष्ट अध्ययन किया जाना चाहिए और यह इस न्यायालय के लिए इस तरह की व्याख्या में जाने के लिए नहीं है, न ही विचाराधीन नियम को इस तरह की कोई चुनौती दी गई है।यह राज्य का विशिष्ट रुख है कि विजय कुमार

यादव के मामले में उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय 14.08.2018 पर लिया गया था, जो 01.11.2018 की कट–ऑफ–डेट से काफी पहले था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब 13 व्यक्तियों की पहली सूची 19.08.2018 पर भेजी गई थी, तो रिट याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख उस खाते में नहीं मिला था।

(42) इसी तरह, गुलाब सिंह के मामले में राज्य का रुख यह भी है कि 30.07.2018 पर उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय लिया गया था, जो फिर से 01.11.2018 से पहले था और राज्य का रुख यह था कि कट–ऑफ–डेट को 01.11.2018 के रूप में देखा जाना चाहिए।रविंदर सिंह के मामले में भी राज्य का रुख यह था कि 30.07.2018 पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए, वह भी नियम के सादे पढ़ने पर कट–ऑफ–डेट पर अयोग्य था। पद्मासुंदरा राव (मृत) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य अन्य 9, पीठ्म में पारित संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है।

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह न्यायालय के लिए उस प्रश्न में जाने के लिए नहीं है जो माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः–

9 (2002) 3 एससीसी 533

12.....न्यायालय एक सांविधिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो स्पष्ट और स्पष्ट है।अधिनियम विधायिका का एक आदेश होता है।अधिनियम में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है।निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का इरादा उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए।

स्वयं विधानमंडल।सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है।"

(43) सारेगामा इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उक्त दृष्टिकोण का पालन किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कानून के प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो इसे संशोधित, संशोधित या निरस्त करना विधायिका का काम है।परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई कवायद पुनर्लेखन के बराबर थी, जिसकी अनुमति नहीं थी और अंतरिम आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः–

"21. न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संविधान द्वारा सौंपा गया है।अपने अधिदेश के निर्वहन में, न्यायालय किसी विधान या उसके तहत बनाए गए नियमों की वैधता का मूल्यांकन कर सकता है।एक क़ानून अमान्य हो सकता है यदि वह संवैधानिक गारंटी अधिकारातीत है या अधिनियमित विधायिका को सौंपे गए विधायी क्षेत्र का उल्लंघन करता है। प्रत्यायोजित विधान, यदि इसके परिणामस्वरूप संवैधानिक उल्लंघन होता है या अधिनियमित क़ानून के दायरे के विपरीत है, तो अमान्य किया जा सकता है।हालाँकि, न्यायालय न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में वैधानिक भाषा को फिर से लिखकर न्यायिक व्याख्या द्वारा से प्रावधान की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।प्रारूपण एक ऐसा कार्य है जो विधायिका को सौंपा जाता है।न्यायिक पक्ष की शिल्पकला किसी अधिनियम के शब्दों को फिर से लिखकर विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकती है।तब के लिए, न्यायिक शिल्प एक विधायी मसौदे के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है।उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ अपने अंतरिम आदेश द्वारा ठीक यही किया है।खंड 31 डी (2) अपीलीय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और दरों

पर रॉयल्टी के भुगतान के साथ–साथ प्रसारण की अवधि और क्षेत्रीय कवरेज बताते हुए कार्य को प्रसारित करने के इरादे के बारे में पूर्व सूचना देने की आवश्यकता की बात करती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।जबकि उच्च न्यायालय ने प्रसारकों को पूर्व सूचना की आवश्यकता पर रोक लगा दी है, उसने नियम 29 के संचालन को यह निर्धारित करके संशोधित किया है कि जो विवरण होने हैं

सूचना में प्रस्तुत प्रसारण के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।अंतरिम आदेश दूसरे परंतुक को एक अपवाद के बजाय एक "नियमित प्रक्रिया" में बदल देता है (जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश का वर्णन किया है)।उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह कवायद पुनर्लेखन के बराबर है।कानून या प्रत्यायोजित कानून के न्यायिक पुनर्लेखन की ऐसी कवायद नहीं की जा सकती है।उच्च न्यायालय ने अंतर्वर्ती स्तर पर ऐसा किया है।"

(44) मोहन कुमार सिंघानिया (ऊपर) के मामले में यह था यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी कानून की व्याख्या करते समय असुविधा और कठिनाई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और अधिनियम या नियमों के अन्य खंडों के संदर्भ में सामान्य ज्ञान को देखा जाना चाहिए।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:–

67. हम समझते हैं कि सभी निर्णयों का हवाला देकर और क़ानूनों की व्याख्या के सिद्धांतों पर विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से पाठगत अंश निकालकर इस निर्णय का प्रसार करना आवश्यक नहीं है।तथापि, यह कहना पर्याप्त है कि किसी कानून की व्याख्या करते समय असुविधा और कठोर नियमों पर विचार करने से बचा जाना चाहिए और जब भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो और उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हों, तो हम उन्हें अधिनियम या नियमों के अन्य खंडों के संदर्भ में उनके सामान्य अर्थों में समझने के लिए बाध्य हैं, जहां तक संभव हो, ताकि विषय वस्तु से संबंधित पूरे कानून या कानूनों/नियमों/विनियमों की श्रृंखला का सुसंगत अधिनियमन किया जा सके।इसके अलावा, एक क़ानून का अर्थ लगाने में, न्यायालय को प्रमुख उद्देश्य और उक्त क़ानून के अंतर्निहित इरादे की पृष्ठभूमि में अधिनियम बनाने वाले प्राधिकरण के इरादे का पता लगाना होगा और यह कि प्रत्येक क़ानून की व्याख्या उसकी भाषा के साथ किसी भी हिंसा के बिना की जानी चाहिए और लागू की जानी चाहिए जहां तक इसकी स्पष्ट भाषा व्याख्या के स्थापित नियम के अनुरूप स्वीकार करती है।"

(45) ऐसी परिस्थितियों में श्री कालरा द्वारा यह तर्क दिया गया कि नियम 9 (1) (ए) (iii) को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है।जैसा कि देखा गया है कि उक्त नियम कभी भी चुनौती का विषय नहीं था और यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अधिनियम की व्याख्या में जाए, क्योंकि केवल यह राहत मांगी गई थी कि उस समय नाम पर विचार नहीं किया गया था।यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अपीलार्थियों की सुविधा के अनुसार अपने विचार को प्रतिस्थापित करे।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता विजय कुमार यादव, गुलाब सिंह और रविंदर

सिंह, कार्रवाई पर विचार किए जाने के कारण, विचार के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, उस नियम को देखते हुए जो उन्हें उनके चेहरे पर घूरता है।

(46) हालाँकि, दिनेश सिंह के मामले में, यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ आरोप–पत्र दायर करने का निर्णय 05.02.2019 पर लिया गया था, जो 01.11.2018 की कट–ऑफ–डेट के बाद है और इसलिए, राज्य का यह रुख कि वह एचसीएस (ईबी) के पद पर नामांकन के लिए अयोग्य थे, उचित नहीं है।यहां तक कि श्री सुनील के. नेहरा का यह कहना भी सही है कि खेल शुरू होने के बाद से 'खेल के नियमों' को बदला नहीं जा सका क्योंकि नामांकन प्रक्रिया 30.05.2019 पर शुरू हो गई थी।कट–ऑफ तिथि 01.11.2018 के रूप में तय की गई थी और उन्हें यह प्रस्तुत करना उचित था कि माननीय एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रहे थे कि पात्रता को 12.07.2019 पर देखा जाना है और उनके मामले पर उस कारण से विचार नहीं किया गया था और रिट याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

(47) शीर्ष के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है अदालत ने के. मंजुश्री बनाम ए. पी. राज्य और अन्य 10 में पारित किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों के मानदंड में कमी पूरी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नहीं की जाएगी और यह खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर होगा, जिसकी अनुमति नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चयन समिति ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी ऐसा ही था।उक्त सिद्धांत वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होगा।

(48) के. वी. जानकीरमन और ओ. पी. लटका (ऊपर) में पारित निर्णय पर भरोसा इस नियम के स्पष्ट आदेश को देखते हुए बिना किसी आधार के होगा कि जहां कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था, राज्य नामांकन के लिए नाम को रोकने के अपने अधिकार के भीतर था।तथ्यात्मक पहलू पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और इसलिए, पहले तीन अपीलार्थियों विजय कुमार यादव, गुलाब सिंह और रविंदर सिंह के लिए, यह पाया गया है कि सैद्धांतिक रूप से कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था।इसलिए, उनके मुंह में यह दावा नहीं है कि उनके नाम गलत तरीके से छिपाए गए हैं।

2 और भेदभाव का मुद्दा

(49) भेदभाव के मुद्दे पर कि दो अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई थी, अर्थात् श्री धीरज चहल और अनिल दून का कोई आधार नहीं है।ऐसा नहीं है कि

उक्त अपीलार्थियों के मामले में उपरोक्त व्यक्तियों को उनकी कीमत पर नियुक्त किया गया था।अन्यथा भी राज्य ने अपने रुख को सही ठहराया है कि धीरज चहल और अनिल दून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और इसलिए उनके नाम भेजे गए थे और जो नियम के प्रावधानों के तहत ही था।उक्त व्यक्तियों को न तो पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है और इसलिए उनके खिलाफ कोई राहत नहीं दी जा सकती है।परिणाम की घोषणा से यह भी पता चलता है कि दो सीटें खाली हैं, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों में चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी प्रतिबंध है, इसलिए तीन रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राज्य की कार्रवाई में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

(50) यह तर्क कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई थी और इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं की भी सिफारिश की जानी चाहिए थी, पहले ही मुद्दा संख्या 1 के तहत जांच की जा चुकी है। जिसमें यह देखा गया है कि नियम और तथ्यात्मक मैट्रिक्स के प्रावधानों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र पर विचार नहीं किया गया था।इसलिए, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के तर्क को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार, समानता का दावा टिकाऊ नहीं है।अन्यथा भी यह तय सिद्धांत है कि अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक अवधारणा है न कि एक

नकारात्मक अवधारणा और इसे बार–बार इस रूप में देखा गया है।शांति स्पोर्ट्स क्लब (उपरोक्त) में पारित निर्णय पर भरोसा रखा जा सकता है, जिसमें पैरा नं.71 यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः–

"संविधान का अनुच्छेद 14 घोषित करता है किः

> 14. कानून के समक्ष समानता।– राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

उस अनुच्छेद में निहित समानता की अवधारणा एक सकारात्मक अवधारणा है।न्यायालय राज्य को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दे सकता है, लेकिन यह आदेश जारी नहीं कर सकता है कि राज्य को अवैधता कार्य करना चाहिए या गलत आदेश पारित करना चाहिए क्योंकि एक अन्य मामले में ऐसी अवैधता की गई है या गलत आदेश पारित किया गया है।यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, तो अन्य लोग उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं और यह निर्देश नहीं मांग सकते हैं कि वही अनियमितता या अवैधता राज्य या उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा उनके पक्ष में की जाए।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 14 को अनियमितताओं या अवैधताओं को बनाए रखने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह (1995) 1 एस. सी. सी.

745, इस न्यायालय ने इस विषय पर कानून की एक स्पष्ट व्याख्या की।उस मामले के तथ्य यह थे कि प्रतिवादी, जिन्होंने 338 वर्ग किलोमीटर के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी।yds।खंड 31 ए, चंडीगढ़ में प्लॉट आवंटन के नियमों और शर्तों के अनुसार कीमत का भुगतान करने में चूक हुई।उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद, संपदा अधिकारी ने भूखंड का पट्टा रद्द कर दिया।उनके द्वारा दायर अपील और पुनरीक्षण को क्रमशः मुख्य प्रशासक और मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, प्रतिवादी ने अपने द्वारा जमा की गई राशि की वापसी के लिए आवेदन किया।उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और उनके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस कर दी गई।इसके बाद उन्होंने मुख्य आयुक्त द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।हालांकि, संबंधित अधिकारी ने दूसरी समीक्षा का विचार किया और निर्देश दिया कि प्लॉट को प्रतिवादी को बहाल किया जाए।उत्तरार्द्ध ने इस असामान्य आदेश का लाभ नहीं उठाया और उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके मुकदमा शुरू किया, जिसे 18 मार्च, 1991 को खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, प्रतिवादी ने 5 प्रतिशत की राशि जब्त करके भूखंडों को चूककर्ताओं को बहाल करने की सरकार की नीति के अनुसार अपने मामले को निपटाने के अनुरोध के साथ फिर से संपदा अधिकारी से संपर्क किया।एस्टेट अधिकारी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की, जिसे केवल इस आधार पर अनुमति दी गई कि श्रीमती प्रकाश रानी से संबंधित एक अन्य मामले में। प्रशासक ने उनके द्वारा दायर रिट याचिका खारिज होने के बावजूद भूखंड को बहाल कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश को उलटते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः–

"8.....हमारी राय है कि जिस आधार या सिद्धांत पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी गई है, वह कानून में अस्थिर है और सिद्धांत रूप में अक्षम्य है।चूंकि हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस तरह की दलीलों से थोड़ी देर तक निपटना आवश्यक है।सामान्य तौर पर, केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी–

प्राधिकरण ने समान रूप से स्थित किसी अन्य व्यक्ति के मामले में एक विशेष आदेश पारित किया है, भेदभाव की याचिका पर याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट जारी करने का आधार कभी नहीं हो सकता है।दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आदेश कानूनी और वैध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तक निर्देशित किए जाने से पहले इसकी जांच की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता के मामले में पालन किया गया।यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आदेश कानून के विपरीत पाया जाता है या उसके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वारंट नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि इस तरह के अवैध या अनुचित आदेश को प्रतिवादी–प्राधिकरण को अवैधता दोहराने या एक और अनुचित आदेश पारित करने के लिए मजबूर करने वाली रिट जारी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।उच्च न्यायालय की असाधारण और विवेकाधीन शक्ति का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी–प्राधिकरण ने एक अवैध/अनुचित आदेश पारित किया है, यह उच्च न्यायालय को प्राधिकरण को बार–बार उस अवैधता को दोहराने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देता है।अवैध/अनुचित कार्रवाई को ठीक किया जाना चाहिए, यदि इसे कानून के अनुसार किया जा सकता है–वास्तव में, जहां भी संभव हो, न्यायालय को उचित प्राधिकारी को कानून के अनुसार ऐसे गलत आदेशों को सही करने का निर्देश देना चाहिए–लेकिन भले ही इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, यह देखना मुश्किल है कि इसे दोहराने का आधार कैसे बनाया जा सकता है।प्रत्यर्थी–प्राधिकरण को अवैधता को दोहराने का निर्देश देने से इनकार करके, न्यायालय पहले के अवैध कार्य/आदेश को माफ नहीं कर रहा है और न ही ऐसा अवैध आदेश भेदभाव की वैध शिकायत का आधार बन सकता है।इस तरह की दलीलों को प्रभावी बनाना कानून के हितों के लिए प्रतिकूल होगा और सार्वजनिक हित के लिए अकथनीय शरारत करेगा।यह कानून और कानून के शासन की अवहेलना होगी।बेशक, यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आदेश एक वैध और न्यायोचित पाया जाता है तो इसका पालन किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को भी इसी तरह की राहत दी जा सकती है यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता का मामला अन्य व्यक्तियों के मामले के समान है।लेकिन फिर अदालत के समक्ष उपस्थित और राहत मांगने वाले याचिकाकर्ता के मामले की जांच करने के बजाय उसकी अभाव में किसी अन्य व्यक्ति के मामले की जांच क्यों की जाए।क्या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में किए गए आदेश या की गई कार्रवाई की शुद्धता की जांच करने की तुलना में अपने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मांगी गई राहत के लिए अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की पात्रता की जांच करना अधिक उचित और सुविधाजनक नहीं है, जो कि अन्य व्यक्ति मामले के समक्ष नहीं है और न ही उसका मामला है।हमारी सुविचारित राय में, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इस तरह का मार्ग न तो उचित होगा और न ही वांछनीय।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून और अच्छी तरह से स्वीकृत मानदंडों की अनदेखी नहीं कर सकता है और यह नहीं कह सकता है क्योंकि एक मामले में

यदि कोई विशेष आदेश पारित किया गया है या कोई विशेष कार्रवाई की गई है, तो इसे इस तथ्य के बावजूद दोहराया जाना चाहिए कि क्या ऐसा आदेश या कार्रवाई कानून के विपरीत है या अन्यथा।प्रत्येक मामले का निर्णय प्रासंगिक कानूनी सिद्धांतों के अनुसार अपने गुण–दोष, तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर किया जाना चाहिए। अधिकारियों के आदेशों और कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के बराबर नहीं माना जा सकता है और न ही उन्हें न्यायिक दुनिया में समझे जाने वाले पूर्व निर्णय के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।

(51) आर. मुथुकुमार (ऊपर) में पारित सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय भी इसी सिद्धांत की व्याख्या करता है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः–

"28. इस देश की संवैधानिक मान्यता में एक सिद्धांत, स्वयंसिद्ध है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं है।दूसरे शब्दों में, यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना किसी एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया है, तो उस लाभ को गुणा नहीं किया जा सकता है, या समानता या समानता के सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।बसावराज और अन्न बनामविशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एस. सी. सी. 81, इस अदालत ने फैसला सुनाया किः

"8.यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को भी आगे बढ़ाना है।उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है।इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी समान राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।यदि पहले के मामले में कोई गलती की गई है, तो इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(52) नतीजतन, उक्त मुद्दे का फैसला तीन अपीलार्थियों के खिलाफ किया जाता है।

(53) श्रीमती. मीतू धनखड़ हालांकि स्पष्ट रूप से अयोग्य हैं क्योंकि कार्यालय के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही लंबित थी और यह तथ्य कि जांच अधिकारी की एक रिपोर्ट थी जो केवल 26.07.2019 पर आई थी, लेकिन वर्तमान रिट याचिकाओं में उनके खिलाफ कोई राहत का दावा की अनुपस्थिति में किए जाने के कारण उन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल की अनुपस्थिति में किया गया था।इस प्रकार, हमारे लिए उनके नाम पर ध्यान दें करना संभव नहीं था, जो नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रथमदृष्टया भेजा गया था, जो कार्यालय के नोट से ही स्पष्ट होगा और जो भी नहीं हो सकता था

राज्य के वकील द्वारा भी उचित नहीं ठहराया गया था ।

(54) हालाँकि, यह न्यायालय श्रीमती मीतू धनखड़ की अयोग्यता पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। रिकॉर्ड के सामने और हालांकि उनके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया है, लेकिन अंतिम परिणाम मुकदमे के निर्णय के अधीन है। राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि डी. आर. ओ./तहसीलदारों से एच. सी. एस. (ई. बी.) के पद के लिए नामांकन एक प्रतिष्ठित कार्य है और नियमों में संशोधन का उद्देश्य यह है कि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए या कार्रवाई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए, यहां तक कि माननीय एकल न्यायाधीश ने भी माना है कि यह उन व्यक्तियों को नामित करने के उद्देश्य से है जिनके पास एक साफ स्लेट है।इस प्रकार, एक ओर यह तर्क दिया गया है कि केवल एक साफ स्लेट वाले व्यक्तियों को नामित किया जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है, रिकॉर्ड के सामने, ऐसा लगता है कि उक्त अधिकारी को नामित किया गया है, हालांकि वह एक आरोप पत्र का सामना कर रही थी जो 2016 के नियमों के नियम 7 के तहत 14.01.2019 को जारी किया गया था, जिसमें आरोप सिविल अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद बिक्री विलेख दर्ज करने का था,

जो रिकॉर्ड से स्पष्ट होगा।प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 10.05.2018 पर, उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए निष्पादित बिक्री विलेखों के संबंध में उप–मंडल अधिकारी, करनाल को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और प्रारंभिक जांच के अनुसार और एसडीओ द्वारा बड़े जुर्माने का प्रस्ताव किया गया था। 21.08.2018 पर, उपायुक्त ने CA–8788–2015 शीर्षक रामेश्वर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, दिनांक 12.03.2018 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में किए गए बिक्री विलेखों के पंजीकरण जारी करने के बारे में लिखा था।

(55) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उसके खिलाफ कार्रवाई पर 01.11.2018 से पहले ही विचार किया जा चुका था, जो कि कट–ऑफ तिथि है तब से उपायुक्त ने एस. डी. ओ. की टिप्पणियों से 21.08.2018 को सहमति व्यक्त की और सिफारिश की कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्तीय आयुक्त–राजस्व) को भेजा जाना चाहिए। मुख्य सचिव (वित्तीय आयुक्त–राजस्व)।दिनांकित 26.07.2019 की जांच रिपोर्ट 20.08.2019 पर उपायुक्त को अग्रेषित की गई थी और केवल 22.08.2019 पर आरोप–पत्र दाखिल किया गया था।बल्कि फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि 21.08.2019 पर जब खण्ड पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया था, Ms.Meetu धनखड़ ने मुख्य सचिव को एक आवेदन दायर किया था उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने और रजिस्टर ए–1 के उद्देश्य से उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए. ऐसी परिस्थितियों में, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह उक्त मुद्दे पर कार्रवाई करे और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद

संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) को कारण सूचना दें, विशेष रूप से तब से अंतिम परिणाम मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन है।

राहत मिलती है:

(56) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए 2021 का एल. पी. ए. Nos.564, 571 और 655 खारिज कर दिए गए हैं और दिनेश सिंह द्वारा 2021 का एल. पी. ए. No.737 दाखिल करने की अनुमति है।सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।राज्य दो रिक्तियों के खिलाफ रजिस्टर ए–1 से नियुक्ति के लिए उक्त अपीलकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए कदम उठाएगा जो दिनांक 17.11.2019 के परिणाम के अनुसार उपलब्ध हैं।आवश्यक अभ्यास आज से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(57) इस आदेश की प्रति हरियाणा के मुख्य सचिव को भेजी जाए ताकि श्रीमती मीतू धनखड़ के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में आवश्यक अनुपालन किया जा सके। उचित रसीद प्राप्त करने के बाद मूल अभिलेख श्री पंडित को लौटा दिया जाए।

———

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वी के सीमित उपयोग के लिए है। वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पान और कार्यान्वयन के लिए उपयक्त होगा

Vetted By

Harpreet Kaur

Translator

Sessions Court, Rohtak